परिशिष्ट-I

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

संबद्धता के लिए आवेदन-पत्र

कुलसचिव,
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
बी-४ कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली- ११००१६

विषयः- अपनी संस्था में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का अध्ययन कराने के लिए संबद्धता प्राप्त करने हेतु।

श्रीमान,

मैं .... नामित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य होने के कारण आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपके विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को संचालन के लिए हमारी संस्था को श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से संबद्ध करने का कष्ट करें-

(i) प्राक् शास्त्री

(ii) शास्त्री/स्नातक

(iii) आचार्य/स्नातकोत्तर

(iv) प्रमाणपत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम/पी.जी.डिप्लोमा (षाण्मासिक/एकवर्षीय/द्विवर्षीय)

एतदर्थ एक डिमांड ड्राफ्ट रूपये ५०००/- (रुपये पांच हजार मात्र) प्रसंस्करण शुल्क हेतु इस आवेदन के साथ संलग्न है । हमारे संस्थान के बारे में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है:-

१. संस्था / संगठन का नाम ....

२. डाक पता ....

३. ईमेल ....

४. टेलीफोन (कार्यालय): .... मोबाइल नंबर ....

५. वेबसाइट ....

६. स्थापना की तिथि ....

७. पंजीकरण संख्या (सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत) ....

८. प्रबंध समिति (विवरण संलग्न करें) ....

(i) अध्यक्ष का नाम..

(ii) सचिव का नाम..

(iii) वर्तमान प्रबंध समिति के गठन की तिथि..

९. बोर्ड/विश्वविद्यालय जिससे पहले संबद्ध था (यदि कोई हो) ....

१०. उस पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिए संबद्धता मांगी जा रही है:-

(i) पूर्वमध्यमा

क्रमांक	पाठ्यक्रम जिसके लिए सम्बद्धता अपेक्षित है			शास्त्रीय परम्परागत विषय	वैकल्पिक आधुनिक विषय
	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	विषय		

(ii) प्राक्-शास्त्री/उत्तरमध्यमा

क्रमांक	पाठ्यक्रम जिसके लिए सम्बद्धता अपेक्षित है			शास्त्रीय परम्परागत विषय	वैकल्पिक आधुनिक विषय
	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	विषय		

(iii) शास्त्री/स्नातक

क्रमांक	पाठ्यक्रम जिसके लिए सम्बद्धता अपेक्षित है			शास्त्रीय परम्परागत विषय	वैकल्पिक आधुनिक विषय
	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	विषय		

(iv) आचार्य/स्नातकोत्तर

क्रमांक	पाठ्यक्रम जिसके लिए सम्बद्धता अपेक्षित है			शास्त्रीय परम्परागत विषय	वैकल्पिक आधुनिक विषय
	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	विषय		

(v) प्रमाणपत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम/पी.जी.डिप्लोमा (षाणमासिक/एकवर्षीय/द्विवर्षीय)

क्रमांक	पाठ्यक्रम जिसके लिए सम्बद्धता अपेक्षित है			शास्त्रीय परम्परागत विषय	वैकल्पिक आधुनिक विषय
	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	विषय		

11. अध्ययन, शिक्षण और अन्य सुविधाओं का विवरणः

विवरण	स्वयं की/किराया की	संख्या	क्षेत्र
प्रधानाचार्य कक्ष			
कार्यालय			
शिक्षण के लिए कक्ष			
शिक्षकों के लिए कक्ष			
छात्राओं के लिए सामूहिक कक्ष			
पुस्तकालय			
पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या			
वाचनालय			
सभागार			
कोई अन्य सुविधा			

12. **शिक्षकों का विवरण:**

विषय	संख्या	योग्यता	वेतनमान/कुल वेतन
संस्कृत			
आधुनिक विषय			
अंग्रेजी			
भारतीय भाषा (i) (ii) (iii)			
अन्य विषय			

13. **अधिकारियों और कर्मचारियों का विवरण:**

क्रमांक सं.	पदनाम	संख्या	वेतनमान/कुल वेतन
१.	लेखाधिकारी/अनुभाग अधिकारी		
२.	लिपिक		
३.	आशुलिपिक		
४.	समूह (सी)		
५.	अन्य		

14. **क्या छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है?** **हाँ / ना**

(अगर हाँ)

(i) कमरों की संख्या		क्षेत्र
(ii) रसोई की संख्या		क्षेत्र
(iii) कक्षों की संख्या		क्षेत्र

१५. बैंक खाते का विवरण, जमा के साथ ....

१६. वित्तीय संसाधन ....

१७. पिछले वर्ष की वार्षिक आय ....

व्यय ....

शेष ....

१८. प्रसंस्करण शुल्क का विवरण रुपए- ५०००/- (केवल पांच हजार रुपये) ।

बैंक का नाम ....

डिमांड ड्राफ्ट नं. ....

दिनांकः ....

१९. आवेदन को निम्नलिखित दस्तावेजों (यदि गुरुकुल/ आश्रम/ संस्थान के पास उपलब्ध है) की अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ जमा किया जाना हैः-

(i) सोसाइटी/ न्यास का पंजीकरण तथा फर्म का गठन और संगम ज्ञापन के ब्यौरे सहित ;

(ii) भूमि के वर्गीकरण तथा महानगर या अन्य क्षेत्रों के रूप में इसकी अवस्थिति के सम्बन्ध में सम्बंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र

(iii) संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपयोग प्रमाण पत्र

(iv) आवदेक के नाम में पंजीकृत भूमि / सरकार द्वारा भूमि पट्टा दस्तावेज ;

(v) सरकार द्वारा कॉलेज आरंभ करने के लिए सोसाइटी / न्यास को दी गई अनुमति संबंधी आदेश साथ ही आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रम / कार्यक्रम का ब्यौरा

(vi) पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार किया गया तथा संबंधित सरकार द्वारा नियक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन का नक्शा

(vii) प्रस्तावित कॉलेज क लिए पंजीकृत सोसाइटी / पंजीकृत दस्तावेज जिसमें प्रस्तावित कॉलेज के लिए भूमि को चिन्हित किया गया हो

(viii) पिछले तीन वर्षों के बैंक स्टेटमेंट की प्रति

(ix) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, जिसमें निम्नवत ब्यौरा दिया गया हो :-

(क) शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने, प्रबंधन तथा प्रचालन में इसके अनुभव, सोसाइटी / न्यास की पृष्ठभूमि; इसके संप्रवर्तकों तथा उनकी पृष्ठभूमि का ब्यौरा; इसके आरंभ होने से सामाजिक धर्मार्थ तथा शिक्षा के क्षेत्र में इसकी तथा इसका दृष्टिकोण और मिशन क्या है ;

(ख) समय-वार कॉलेज की विकास योजना, जिसमे शैक्षणिक कार्यक्रमों के चरणबद्ध रूप से चलाने, छात्रों की संख्या में वृद्धि तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम / अनुसन्धान आरंभ किए जाने के संबंध में सबसे पहले १० वर्षों के दौरान इसकी विकास योजना को दर्शाया गया हो, तथा शैक्षणिक अवसंरचना जैसे संकाय की नियुक्ति तथा अन्य सहायक सुविधाओं जैसे छात्रावास, खेलकूद तथा मनोरंजनात्मक सुविधाएं शामिल है, के विकास के लिए स्तर-वार समय अनुसूची ।

(ग) भूमि उपयोग पैटर्न तथा भावी पैटर्न को दर्शाते हुए वास्तुकलात्मक मास्टर प्लान

(घ) संकाय नियुक्ति, उन्हें नौकरी पर बनाए रखने तथा विकास के संबंध में नीति

(ङ) शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन का ढांचा

(च) छात्रों द्वारा शुल्क के माध्यम से सृजित निधियों के अलावा पूँजी के वित्तपोषण तथा प्रचालनात्मक व्यय का स्रोत और

(छ) संसाधन संबंधी अनुमान तथा उपयोग अनुसूची

मैं प्रमाणित करता हूँ कि संबद्धता के लिए आवेदन में दी गई जानकारी सत्य है । मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि यदि कोई सूचना असत्य पाई जाती है तो आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है तथा जमा की गई राशि वापस नहीं दी जाएगी।

दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(सील)

परिशिष्ट-II

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का संचालन एवं उनकी परीक्षाएं आयोजित करता है:-

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	समानक
१.	प्राक्-शास्त्री (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)	हायर सेकेंडरी / इंटरमीडिएट
२.	शास्त्री (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम / ६ सेमेस्टर)	स्नातक (बी.ए.)
३.	शास्त्री सम्मानित (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम / ६ सेमेस्टर)	स्नातक [बी.ए. (ऑनर्स)]
४.	आचार्य (दो वर्षीय पाठ्यक्रम / ४ सेमेस्टर)	मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.)
५.	डिप्लोमा / प्रमाण पत्र	डिप्लोमा / प्रमाण पत्र

संबद्धता के लिए मानदंड

शिक्षण संकाय	प्राक्-शास्त्री	शास्त्री	आचार्य	डिप्लोमा प्रमाणपत्र
शिक्षकों का विषयवार विवरण	1. संस्कृत- २ 2. अंग्रेजी- १ 3. हिंदी/क्षेत्रीय-भाषा-१ 4.आधुनिक-वैकल्पिक-विषय-१ 5. पारंपरिक-विषय- १	संस्कृत- २ अंग्रेजी- १ हिंदी/क्षेत्रीय-भाषा-१ आधुनिक-वैकल्पिक-विषय-१ पारंपरिक-विषय- १ (प्रति विषय) कंप्यूटर- १	प्रतिविषय-३ अनिवार्यविषय-१	प्रतिडिप्लोमा-१
कुल संख्या शिक्षक	6	7	4	1
शिक्षकों की योग्यता	पी.जी.टी	आचार्य/एम.ए. नेट/पीएचडी	आचार्य/एम.ए. नेट/पीएचडी	पीजीटी/टीजीटी
कक्षा के कमरों की संख्या	4	3	2	1
कार्यालय	1	1	1	1
पुस्तकालय	1	1	1	1
पुस्तकों की न्यूनतम संख्या	1500	2000	3000	1500
संबद्धता शुल्क प्रति	जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है ।			
प्रवेश / परीक्षा शुल्क आदि	जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है ।			
संबद्धता के लिए प्रसंस्करण (एक बार)	रु. ५०००/- मात्र			

संशोधन के अधीन

परिशिष्ट-III

(संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान/गुरुकुल/आश्रम/संस्थान/पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट आदि के निदेशक/प्रधानाचार्य या अधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए जमा कराने हेतु)

बंधपत्र

मैं (निदेशक/प्रधानाचार्य का नाम) निदेशक/प्रधानाचार्य (संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान/गुरुकुल/आश्रम/संस्थान का नाम) पूर्ण जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करता हूँ कि अपने संस्थान को विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये नियम एवं शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करुँगा।

गुरुकुल/ आश्रम/संस्थान/ कॉलेज का प्रस्ताव करने वाली पंजीकृत सोसाइटी/ न्यास के साथ निम्न शर्तों पर बंधपत्र :-

1) केवल उन विषयों को पढ़ाया जाएगा तथा केवल उन्हीं संकायों में केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों/ कार्यक्रमों को चलाया जाएगा जिनके लिए श्री.ला.ब.शा.रा.सं.विश्वविद्यालय द्वारा उसे सम्बद्ध किया गया है तथा वह भूतलक्षी प्रभाव से सम्बद्धक की मांग नहीं करेगा और ऐसे सभी पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय के समुचित शैक्षणिक निकाय द्वारा अनुमोदित पाठ्य विवरण का अनुपालन किया जाएगा।
2) अधिनियम के सभी उपबंधों परिनियम तथा इस सम्बन्ध में श्री.ला.ब.शा.रा.सं.विश्वविद्यालय के सभी अध्यादेश, नियमों तथा विनियमों का पालन किया जाएगा।
3) श्री.ला.ब.शा.रा.सं.विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर सांविधिक/ विनियामक निकायों द्वारा जारी नियमों, विनियमों तथा दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेगा।
4) वि. अ. आ. द्वारा यथा विहित शिक्षण पदों की संख्या, उनकी शैक्षणिक योग्यता तथा भर्ती/ पदोन्नति प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें, श्री.ला.ब.शा.रा.सं.विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार / वि.अ.आ. के परिनियमों/ अध्यादेश/ विनियमों के अनुरूप होगी तथा गुरुकुल/ आश्रम/संस्थान/ कॉलेज द्वारा आरंभ किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम में छात्रों का पर्याप्त शिक्षण सुनिश्चित करेगा तथा गुरुकुल/ आश्रम/संस्थान/ कॉलेज में छात्र-शिक्षक अनुपात वि. अ. आ मानदंडों के अनुसार होगा । गुरु शिष्य पद्धति से प्राप्त शिक्षा के अनौपचारिक शिक्षा के मामले में, यदि शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता औपचारिक शिक्षा के समकक्ष नहीं है, तो इसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ A I U द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए।
5) शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मी को नियमित रूप से वि.अ.आ/ केंद्र/ राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा समय-समय पर विहित वेतनमान का पूर्ण रूप से भुगतान किया जाएगा। यदि कर्मचारी संस्थान को अपना वेतन और भत्तों का समर्पण स्वैच्छिक रूप से करना चाहता है, तो इस बाबत वह वेतन और भत्तें संस्थान द्वारा प्रयोग किए जाए तथा इस संबंध में संबंधित कर छूट (यदि लागू हो) केंद्र/ राज्य सरकार/ सक्षम निकाय द्वारा ली जाए।

6) शिक्षण व गैर–शिक्षण कर्मी के सदस्यों की नियुक्ति केवल उनके लिए विहित योग्यता तथा अनुभव को आधार मानते हुए ध्यान में रखकर की जाएगी, न कि किसी दान या किसी से मांग करके या उसे स्वीकार करके या किसी अन्य विचार को ध्यान में रखकर की जाएगी।

7) गुरुकुल/आश्रम/संस्थान/कॉलेज को सम्बद्धता प्रदान किए जाने के तीन माह के भीतर श्री.ला.ब.शा.रा.सं. विश्वविद्यालय से नियुक्त किए गए शिक्षकों पर अर्हता सम्बन्धी अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा शिक्षण स्टाफ में सभी परिवर्तनों तथा ऐसे किसी भी प्रकार के परिवतन की स्थिति में, जोकि श्री.ला.ब.शा.रा.सं. विश्वविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान की जाने वाली शर्तों की पूर्णता को प्रभावित करता हो, एक पखवाड़े के भीतर सूचित करेगा ।

8) सम्बद्ध संस्थाएं विश्वविद्यालय की सहमति के पश्चात् ही विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क निर्धारित कर सकेंगी।

9) गुरुकुल/ आश्रम/संस्थान/ कॉलेज, वि.अ.आ. द्वारा मानदंडों के आधार पर श्री.ला.ब.शा.रा.सं.विश्वविद्यालय द्वारा यथा अनुमोदित विहित शुल्क तथा अन्य प्रभारों के अलावा अपने छात्रों तथा उनके अभिभावकों/ संरक्षक द्वारा तथा उनकी और से कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फीस) या दान एकत्रित नहीं करेगा जिससे भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलता हो ।

10) इस प्रभाव तक कि गुरुकुल/ आश्रम/संस्थान/ कॉलेज श्री.ला.ब.शा.रा.सं.विश्वविद्यालय की पिछली अनुमति के बिना, पहले से ही अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम को समाप्त नहीं होगा ।

11) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों सहित अन्य वंचित वर्गों, जहां कही भी लागू हो, के छात्रों के लिए शैक्षणिक तथा कल्याण संबंधी क्रियाकलापों पर गुरुकुल/ आश्रम/संस्थान/ कॉलेज द्वारा उचित रूप से ध्यान दिया जाएगा ।

12) वि. अ. आ/ श्री.ला.ब.शा.रा.सं.विश्वविद्यालय / सरकार द्वारा विनियामकों/ आदेशों के तहत रखरखाव किए जाने वाले लेखों के लेखापरीक्षित विवरण सहित सभी रजिस्टरों तथा अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा तथा कभी भी निरोक्षण हेतु आवश्यक होने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

13) गुरुकुल/ आश्रम/संस्थान/ कॉलेज, इस प्रकार की सभी विवरणिकाओं तथा अन्य सूचनाओं को वि.अ.आ/ श्री.ला.ब.शा.रा.सं.विश्वविद्यालय / सरकार को उपलब्ध कराएगा ताकि शैक्षणिक स्तर को बनाए रखने के संबंध में गुरुकुल/ आश्रम/संस्थान/ कॉलेज के निष्पादन की निगरानी करने तथा मूल्यांकन करन हेतु वि.अ.आ/ श्री.ला.ब.शा.रा.सं.विश्वविद्यालय / सरकार को सक्षम बनाया जा सके तथा इस स्तर को बनाए रखने के लिए वि.अ.आ/ श्री.ला.ब.शा.रा.सं.विश्वविद्यालय/ सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए जायेंगे, उसे बनाए रखने के लिए सभी कार्यवाहियां करेगा।

हस्ताक्षर :..	हस्ताक्षर..
सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष/सचिव	संस्था के निदेशक/प्रधानाचार्य
नाम :..	नाम :..
पद :..	पद :..
दिनांक :..	दिनांक :...

सोसाइटी/ट्रस्ट की सील संस्था की सोल

(उपर्युक्त बंधपत्र नान-जूडीशियल रू. 100/- के स्टांप पेपर पर जमा कराना होगा।)